न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वाद संख्या–04/2011

	आदेश	
	अभिलेख उपस्थापित । आवेदक सुरेन्द्र महतो, पिता स्व0 जयराम महतो एवं रंगाधर महतो, पिता विजय महतो, ग्राम बरंगा, पो0 उरकिया, थाना मनोहरपुर, जिला प0 सिंहभूम चाईबासा के आवेदन के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 की धारा–20 (2) के तहत वाद दिनांक 29.11.2011 को प्रारम्भ किया गया। वाद का संक्षिप्त इतिहास निम्नवत् है :– आवेदक अपने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि शकील अहमद खान, तत्कालीन रेंजर वन विभाग, आनन्दपुर प्रक्षेत्र, मनोहरपुर के द्वारा वन विभाग में नर्सरी का कार्य कराकर मजदूरी की कुल राशि 58,200/– रू0 का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में शकील अहमद खान ने अपना आपत्ति आवेदन 19.03.2012 को न्यायालय में समर्पित किया। प्रतिपक्षकार का कहना है कि उनके द्वारा गोपीपुर के स्थायी पौधशाला में कभी भी आवेदन गण को दैनिक मजदूरी/किसी तरह के कार्य पर नहीं रखा था। उनका आगे कहना है कि वन विभाग में दैनिक मजदूरी पर जिन मजदूरों को रखा जाता है उनका मास्टर रॉल तैयार किया जाता है । विभाग द्वारा आपुरित मास्टर रॉल तैयार कर विभाग में निश्चित रूप से जमा करना पड़ता है। किसी भी Unauthorised person के द्वारा इन्हें तैयार नहीं किया जाता है। नंदु बारला जो फॉरेस्ट गार्ड के रूप में वहाँ पदस्थापित है ने आवेदनगण के साथ मिलीभगत करके आवेदनगण को भुगतान कराने हेतु साजिश रची है। इस संबंध में नंदु बारला ने अपना साक्ष्य न्यायालय में 10 फरवरी 2015 को दिया है। अपने मुख्य परीक्षण में नंदु बारला ने बताया कि वह गोईलकेरा में पदस्थापित है एवं इसके पहले वह आनन्दपुर के गोपीपुर नर्सरी में पदस्थापित था। अपने मुख्य परीक्षण में नंदु बारला ने बताया है कि वह आवेदनगणन को जानता है एवं गोपीपुर नर्सरी में उनलोगों के द्वारा काम लिया गया था। नंदु बारला ने बताया कि सुरेन्द्र महतो को 306 दिनों का मजदूरी भुगतान नहीं किया गया एवं रंगाधर महतो को 276 दिन का मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दोनों मजदूर वर्ष 2008 से काम कर रहे थे, परंतु भुगतान 2010–11 का लंबित है। अपने प्रतिपरीक्षण में नंदु बारला ने बताया कि वह दैनिक मजदूरों की हाजरी लिया करता था और उसी के आधार पर वह बता रहा है। प्रत्येक साल के लिए हाजरी रजिस्टर हुआ करता है। नंदु बारला से जब यह पूछा गया कि Non Payment के लिए वह कभी लिखित शिकायत नहीं किया है। दैनिक मजदूरों के नियुक्ति के संबंध में उनके द्वारा	

प्रतिपरीक्षण में बताया गया कि दैनिक मजदूरों को रेंजर के द्वारा ही नियुक्ति दी जाती है। उनसे जब यह पूछा गया कि उनके पास में आवेदकगण के नियुक्ति के संबंध में कोई साक्ष्य है तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास ऐसा कोई Document नहीं है। उनसे जब यह पूछा गया कि दैनिक मजदूरी का भुगतान कहाँ से किया जाता है उनका जवाब था कि रेंजर के द्वारा विभाग करता है। उनलोगों से पूछा गया कि क्या शकील अहमद खान ने इन मजदूरों को नियुक्ति किया था उनका कहना था कि शकील अहमद ने ही इन मजदूरों को नियुक्त किया था। उनसे जब यह पूछा गया कि इनके अतिरिक्त अन्य किसी हाजरी रजिस्टर में इनका उपस्थिति लिया गया है। उनका कहना है कि अन्य मजदूरों की हाजरी ली गई। उनसे पूछा गया कि क्या उनलोगों का भुगतान लंबित है उनके द्वारा बताया गया कि हर 15 दिन पर भुगतान किया जाता था और उनके द्वारा भुगतान लंबित नहीं है। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या वन विभाग में लम्बी अवधि तक बिना मजदूरी पर कोई कार्य किया है ? उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई जानकारी उन्हें नहीं है। इसके बाद साक्ष्य नं0–2 में रंगाधर महतो के साक्ष्य को लिया गया। रंगाधर महतो ने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह गोपीपुर अस्थायी पौधशाला में शकील अहमद रेंजर के कहने पर काम करता था। उसने 276 दिन कार्य किया था। उसने बताया कि उसे 276 दिन की मजदूरी नहीं मिली है। जयराम महतो ने भी अपना साक्ष्य दिया है । आवेदक सुरेन्द्र महतो का कहना था कि वह रेंजर शकील अहमद के कहने पर गोपीपुर पौधशाला में कार्य करता था और उन्हीं के वहाँ रहता था।

प्रतिपक्ष शकील अहमद खान, सेवा निवृत रेंजर ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि मजदूरी कर मजदूरों के नियुक्ति का भार वनरक्षी एवं वनपाल का रहता है। वर्ष 2009–10 में जो कार्य हुआ था उसमें भी मजदूरों का नियुक्ति वनरक्षी एवं वनपाल के द्वारा ही की गई थी एवं मजदूरों का भुगतान वनपाल के द्वारा ही होता है। वर्ष 2010–11 में गोपीपुर पौधशाला में कोई कार्य नहीं कराया गया है। सरकारी कार्य कराने हेतु विभाग द्वारा मास्टर रॉल प्राप्त किया जाता है जिसमें वनरक्षी द्वारा मजदूरों की हाजरी बनाई जाती है। वनपाल के द्वारा मेंजरमेन्ट लिया जाता है कि मेजरमेंट बुक में अंकित किया जाता है। प्रस्तुत मामले में वनरक्षी द्वारा कुछ भी सबूत के तौर पर जमा नहीं किया गया है। वनरक्षी ने मेरे सेवा निवृती के कुछ समय पूर्व ये झूठा केस दर्ज कराया है । कम मजदूरी भुगतान होने की स्थिति में लोग श्रम विभाग के पदाधिकारी के पास ही जाते है, परंतु इस मामले में असलियत खुलने के डर से वकील के माध्यम से न्यायालय में अभ्यावेदन दिया गया है।

प्रतिपरीक्षण में शकील अहमद खान ने बताया कि स्थायी पौधशाला में 31.03.2010 तक कार्य हुआ था । शकील अहमद खान ने पुनः यह बताया कि आवेदकगण से स्थायी पौधशाला में कोई कार्य नहीं कराया गया एवं उनसे घरेलू कार्य यथा पानी भरवाना, कपड़ा धुलवाना, खाना बनाना आदि कार्य नहीं लिया गया यह सरासर गलत है। मैंने नंदु बारला वनरक्षी की माध्यम से मजदूरों का मनरेगा जॉबकार्ड नहीं लिया है। प्रतिपक्षकार ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया कि उनके द्वारा किसी भी मजदूरों को मजदूरी बकाया नहीं रखा है।

प्रथम साक्ष्य को समेकित रूप से विचार करने से यह बात स्पष्ट होता है कि नंदु बारला का बयान सत्य प्रतीत नहीं होता है। नंदु बारला का यह कहना कि सिर्फ इन दो मजदूरों का 236 और 306 दिन का मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है और इतनी लम्बी अवधि तक मजदूरी की मांग मजूदरों के द्वारा नहीं किया जाना शक को पैदा करता है। आवेदकगण अपने मुख्य परीक्षण में नहीं कहा है कि वे रेंजर के घर में कार्य अवधि के बाद घरेलू कार्य भी करते थे, जबकि प्रतिपक्ष के प्रतिपरीक्षण में आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह आरोप लगाना कि निर्धारित कार्य अवधि के बाद आवेदकगण से घरेलू कार्य भी रेंजर कराया करते थे। यह बात मुख्य आवेदन में कहीं भी नहीं आई है। इससे यह प्रतीत होता है कि गलत मंशा से आवेदकगण सरकारी राशि को हड़पने हेतु वाद की कार्रवाई हेतु आवेदन दिये है। सभी तथ्यों एवं साक्ष्य पर समेकित रूप से विचार करने पर मेरा यह मानना है कि आवेदकगण एक झूठा एवं तथ्यहीन आरोप प्रतिपक्षकार शकील अहमद खान के उपर लगाया है। आवेदक के वाद को खारिज (Dismiss) किया जाता है।

3.1.18

अनुमंडल पदाधिकारी
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.19 14:23:18 +05:30
Location: 192.168.181.135